रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 1991/चैत्र 28, 1913
No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 1991/CHAITRA 28, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

(कंपनी विधि बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1991

सा.का.नि.219(अ).—कंपनी विधि बोर्ड, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 461(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1988 के क्रम में और भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ), तारीख 24 जून, 1975 के

साथ पठित, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 294कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट कोटि के माल की मांग उस माल के उत्पादन या प्रदाय से पर्याप्ततः अधिक है और उस माल के लिए बाजार पैदा करने के लिए एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी कंपनी द्वारा भारत में ऐसे माल के विक्रय के लिए एकमात्र विक्रय अभिकर्ता नियुक्त नहीं किए जाएंगे।

सारणी

औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 में परिभाषित "प्रबंध औषधि", "औषधियों और सूत्रयोगों" की प्रत्येक ऐसी कोटि जो:

(1) आयुर्वेदिक [जिसमें सिद्ध भी सम्मिलित है] या यूनानी (तिब्ब) चिकित्सा पद्धतियों में सम्मिलित कोई वास्तविक निर्मिति नहीं है; या

(2) होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कोई निर्मिति नहीं है।

[फा. सं. 11/3/91-सी.एल.-10]

वाई. ए. राव, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

(COMPANY LAW BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1991

G.S.R. 219(E).—In continuation of notification No. G.S.R. 461(E) dated the sale of such goods in India for a further period of three years from the (1) of Section 294AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the notification of the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 343(E), dated the 24th June, 1975, the Company Law Board, being of the opinion that the demand for the category of goods specified in the Table below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of the Sole Selling Agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby

declares that Sole Selling Agents shall not be appointed by any company for the sale of such goods in India for a further period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Every category of "bulk drug", "drugs" and "formulations" as defined in the Drugs (Prices Control) Order, 1987 not being :

(i) any bonafide preparation included in the Ayurvedic (including Siddha) or Unani (Tibb) systems of medicine; or

(ii) any preparation included in the Homoeopathic system of medicine.

[F. No. 11|3|91-CL.X]

Y. A. RAO, Member, Company Law Board.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1991